

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लेखों सम्बन्धी कार्य किये जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का है, उनकी ओर से उत्तराखण्ड के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड उत्तरदायी है। कोषागार राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामले में, सामान्य रूप में और सरकारी लेन-देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार निकासी एवं संवितरण अधिकारी और वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसके साथ ही लेखा एवं लेन-देन से सम्बन्धित मानकों और नियमों के अनुसार वित्तीय लेन-देन को सुनिश्चित करवाने हेतु कोषागार/उपकोषागार के सुचारु रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गये प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का वर्ष 2020-21 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है। यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है, द्वितीय भाग में लेखों की कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा तृतीय भाग में वर्ष 2020-21 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमितताओं को वृहत्तर विवरण के साथ वर्णित किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।

(राजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

स्थान : देहरादून

दिनांक : 21.03.2022

विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्राक्कथन	1
2	मुख्य अंश	3
3	भाग-1 प्रस्तावना	4 से 8
4	भाग-2 लेखा विसंगतियां	9 से 15
5	भाग-3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमियां	16 से 23
6	परिशिष्ट- 1 से 11	24 से 47

मुख्य अंश

1	कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) के माध्यम से संकलन के दौरान लेखों में कमियां एवं विसंगतियां।	(पैरा 2.1)
2	सहायक अनुदान के सापेक्ष ₹ 1888.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित रहना।	(पैरा 2.2)
3	त्रैमासिक आय-व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।	(पैरा 2.6)
4	वर्ष 2020-21 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण।	(पैरा 3.1)
5	नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।	(पैरा 3.2.1)
6	उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।	(पैरा 3.2.2)
7	वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ।	(पैरा 3.2.3)
8	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ती लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।	(पैरा 3.3.1)
9	अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।	(पैरा 3.3.2)
10	कोषागार डाटा बेस में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।	(पैरा 3.3.3)

भाग—एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

“भाग-1 : प्रस्तावना”

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग-4(2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार, निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागारों/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार, कोषाधिकारी एवं उपकोषागार, उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।


1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 384/XXVII(6)/2011 दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों को कोषागार की भाँति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन-देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

1.2 संरचना/ संगठन :

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2020-21 में कुल 19 कोषागार हैं (19 कोषागारों में एक कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या केवल 18) एवं 70 उपकोषागार हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित एक साईबर कोषागार एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, कोषागार के रूप में कार्यरत हैं तथा लेखे प्रस्तुत करते हैं अर्थात् राज्य में 13 सदर कोषागार तथा 6 कोषागार, 01 भुगतान एवं लेखा कार्यालय तथा 01 साईबर कोषागार एवं 70 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिंग के रूप में कार्यरत हैं।

(परिशिष्ट-01)

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:



1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख-रखाव हेतु बैंको में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ के माध्यम से किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जाना निर्धारित है। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक/सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है।

1.3.1 वर्ष 2020-21 में राज्य के कोषागारों एवं उपकोषागारों के वार्षिक निरीक्षण से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्यों में उत्तराखण्ड में कोरोना-19 महामारी के कारण केवल चार कोषागारों एवं पाँच उपकोषागारों का ही निरीक्षण किया गया है।

1.3.2 कोषागारों में कर्मचारी वर्ग की स्थिति— कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष में काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2020-21 में कोषागारों में लगभग 29.64 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है—

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2018-19	923	592	331	35.86
2019-20	929	580	349	37.56
2020-21	1012	712	300	29.64

1.4 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के अंतर्गत निम्न पदों की स्थापना की गयी है :-

- 1 निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
- 2 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, मुख्यालय, देहरादून।
- 3 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी।
- 4 अपर निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।
- 5 उप निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, मुख्यालय, देहरादून।
- 6 सहायक निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।

1.5 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) का क्रियान्वयन।

1 अप्रैल 2019 से, राज्य सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत और स्वचालित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली से उपयोगकर्ताओं को एक "एण्ड टू एण्ड लेनदेन" का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के प्रयोगार्थ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत शासन, विभागाध्यक्ष तथा

कार्यालयाध्यक्ष के मध्य एकरूपता स्थापित की गयी है। आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा पारदर्शी तरीके से नियत समय में राज्य के समस्त भुगतान संभव हो पा रहे हैं तथा व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखांकन समेकित प्रक्रिया द्वारा एवं त्वरित गति से संकलित हो रही है।

IFMS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उत्तराखण्ड में निम्नलिखित मॉड्यूल्स विकसित कर लिए गए हैं:-

1. पेट्रोल
2. पेंशन
3. बजट
4. एच.आर.एम.एस.
5. एकाउंटिंग
6. बिल्स
7. टैक्सेशन
8. वर्क्स एकाउंटिंग
9. ई-चालान
10. सोसाईटी एण्ड फर्म्स
11. एन.पी.एस.
12. इंटिग्रेशन-पीएफएमएस,जी.एस.टी., ई-कुबेर आदि
13. एस.जी.एच.एस.

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

“भाग-2 : लेखा विसंगतियां”

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियां/विसंगतियां :

2.1 कोषागार अंतरापृष्ठीय (**Treasury Interface**) की प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था जिनका विवरण निम्नवत् है :

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (**NIL payment voucher**), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

Treasury Interface से प्राप्त लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान में निम्न कमियां/त्रुटियां/अनियमितताएँ :-

- 2.1.1** कोषागारों द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित मासिक लेखों के LOP & Cash Account में मुख्य लेखाशीर्ष के समक्ष दर्शायी गयी राशि में, अग्रिम माह के दिनांक 5 के बाद भी बार-बार परिवर्तन किया जाता है।
- 2.1.2** Online IFMS में कुछ कोषागारों के LOP & Cash Account में मुख्य लेखाशीर्ष के समक्ष दर्शायी गयी राशि, उसी मुख्य लेखाशीर्ष के अन्दर दर्शायी गयी राशि में भिन्नता होती है।
- 2.1.3** Online IFMS से e-data (e-voucher) डाउनलोड करने पर वाउचरों की संख्या कम रहती है।
- 2.1.4** कभी कभी किसी कोषागार के ई0 कोषागार से प्राप्त हो रहे डाटा में हेडर और डिटेल में वाउचरों की संख्या समान न होने के कारण इन्टरफेस में डाटा नहीं खुल पाता है। जिसे राज्य के डाटा सेन्टर से e-mail के द्वारा सही करा लिया जाता है।
- 2.1.5** कोषागार से प्राप्त LOP में मुख्य लेखाशीर्ष के सापेक्ष अंकित धनराशि, ऑनलाइन प्राप्त डाटा में स्थित वाउचर और वाउचरों की हार्ड कॉपी से मिलान नहीं होती है।
- 2.1.6** किसी-किसी Challan का वर्गीकरण उप मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष और मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार नहीं होता है।
- 2.1.7** कोषागारों से प्राप्त ए0 सी0 बिल/डी0 सी0 वाउचरों पर “ए0 सी0 बिल/डी0 सी0” अंकित नहीं होता है।
- 2.1.8** कोषागारों से प्राप्त हुए कुछ वाउचरों में ‘मतदेय/भारित’ का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है।

- 2.1.9** कुछ कोषागारों से physical LOP & Cash Account के साथ RBD Certificate नहीं आ रहे हैं। RBD Certificate ऑनलाईन प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
- 2.1.10** IFMS के अन्तर्गत प्राप्त ए0 सी0 एवं डी0 सी0 Vouchers के साथ Supporting document की स्कैन कॉपी संलग्न नहीं होती है।
- 2.1.11** ऑनलाईन IFMS द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के document (जैसे:- LOP, Cash Account और vouchers) अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित e-sign नहीं होते हैं।
- 2.1.12** कुछ कोषागारों द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में सा0भ0नि0 लेखाशीर्षवार जी0पी0एफ0 के वाउचरों में अंकित धनराशियों के सापेक्ष कुछ शैड्यूल लुप्त पाये जाते हैं तथा कुछ शैड्यूलो में कुल धनराशि कम या अधिक पाई जाती है, जिस कारण फुल वान्ट /पार्ट वान्ट आइटम की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।
- 2.1.13** कुछ कोषागारों द्वारा प्रेषित तृतीय श्रेणी के सा0भ0नि0 शैड्यूलों में, चतुर्थ श्रेणी के अभिदाताओं की कटौतियाँ दर्शायी जाती हैं।
- 2.1.14** अनेक कोषागारों द्वारा प्रेषित तृतीय श्रेणी के सा0भ0नि0 शैड्यूलों में, अभिदाता का गलत खाता संख्या अंकित रहता है।
- 2.1.15** सामान्य भविष्य निधि मासिक लेखे के साथ प्रेषित राज्य के चतुर्थ श्रेणी से भिन्न अभिदाताओं के चालान के माध्यम से जमा कटौतियों के विवरण में, अभिदाताओं के आहरण वितरण अधिकारी का नाम, पता एवं कोड अंकित नहीं पाया जाता है।
- 2.2** वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्त तक सहायक अनुदान के सापेक्ष में ₹ **1888.97** करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण-पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18	24	36.73	21	31.27	3	5.46
2018-19	122	479.16	114	458.34	8	20.82
2019-20	149	1537.25	41	690.88	108	846.37
2020-21	338	1016.32	00	00	338	1016.32
योग	633	3069.46	176	1180.49	457	1888.97

2.3 मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2020-21 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता तो उसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेखा संशोधन का विवरण परिशिष्ट -02 में दर्शाया गया है।

2.4 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों में कमियां/विसंगतियां पायी जानी।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत संस्थागत ऋणों के स्वीकृति आदेशों में ऋणों से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें जैसे ब्याज दर, मोरेटोरियम पीरियड, ऋण की अवधि, किश्तों की संख्या को अंकित नहीं किया जाता है।

संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के चालानों पर इस कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले एस0एल0आर0 संख्या को अंकित नहीं किया जा रहा है जिस कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त ऋणों के लेखों के रखरखाव में असुविधा हो रही है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खारिज ऋणों एवं ऋण जिन्हें इक्विटी में रूपांतरित किया जा चुका है, की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

2.5 मुख्य लेखाशीर्ष 8793 से सम्बन्धित कमियां/विसंगतियां।

कोषागारों द्वारा अन्य राज्य पेंशन 8793 से संबंधित प्राप्त वाउचर/चालान में गलत वर्गीकरण किया जा रहा है जिसके कारण प्रति माह लेखा संशोधन करना पड़ता है। यह त्रुटि डाटा सेंटर द्वारा हो रही है जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर के दावे निदेशक कोषागार द्वारा प्रायः विलम्ब से प्रेषित किये जाते हैं जिसके कारण प्रतिपूर्ति भी विलम्ब से हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कोषागारों द्वारा लेखाशीर्ष 8793 के अन्तर्गत वसूल की गयी राशियों का माहवार विवरण निम्नवत् है।

माह	धनराशि
अप्रैल, 2021	64135 /—
मई, 2021	364520 /—
जून, 2021	14508 /—
जुलाई, 2021	46556 /—
अगस्त, 2021	19053 /—
सितम्बर, 2021	85048 /—
अक्टूबर, 2021	26209 /—
नवम्बर, 2021	362941 /—
दिसम्बर, 2021	271630 /—
जनवरी, 2021	39644 /—

2.6 त्रैमासिक आय-व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ DDOs के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान, महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2020-21 के लेखा संकलन की प्रक्रिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या फिर मिलान आंशिक रूप से कराया गया।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों की वित्तीय वर्ष **2020-21** में चतुर्थ त्रैमास तक मिलान आख्या।

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	11	33	6	30	16	30	15	23
आंशिक मिलान	2	11	9	12	06	18	05	19
मिलान नहीं कराया	35	18	33	20	26	14	28	20
कुल	48	62	48	62	48	62	48	62
मिलान आख्या (प्रतिशत में)	27	71	31	68	46	77	42	68

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय-व्यय मिलान की स्थिति परिशिष्ट **-03** में दर्शाया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्रैमासिक आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची परिशिष्ट **-04** में दर्शाया गया है।

2.7 मार्च 2021 की मासिक लेखा समाप्ति पर आज दिनांक तक ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष	ए0सी0 बिल आहरित		डी0सी0 बिल		लंबित ए0सी0 बिल	
	Items	Amount	Items	Amount	Items	Amount
2019-20	61	60281294	54	55932294	07	4349000

2020-21	78	56675291	08	26655599	70	30019692
योग	139	116956585	62	82587893	77	34368692

2.8 मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना, कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को समय पर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। समस्त कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार को निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। प्रत्येक माह के लेखे अगले माह की 8 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है ताकि लेखे संकलित कर माह के 25 तारिख तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा सके। वर्ष 2020-21 में कोषागारों द्वारा 01 से 58 दिनों तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये।

वर्ष 2020-21 में सभी कोषागारों ने इसका पालन नहीं किया है। कोषागारों जिनके द्वारा लेखे महालेखाकार कार्यालय में देरी से अग्रेसित किये गये, का विवरण परिशिष्ट-05 में दिया गया है।

(परिशिष्ट -05)

2.9 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ।

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेंसी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों द्वारा प्राप्त एजेंसी बैंकों की वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों के साथ मिलान किया जाता है।

कोषागारों से प्राप्त माहवार आर0बी0डी0 व उनके सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक/एजेन्सी बैंको से प्राप्त रिपोर्ट का, इस कार्यालय द्वारा बनाये जाने वाली RBD Broadsheet में परस्पर मिलान करने पर कुछ अन्तर प्राप्त होते हैं। जिनका निपटान इस कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर कोषागारों द्वारा (भारतीय रिजर्व बैंक/एजेन्सी बैंक के ओर से भिन्नता न हो) शीघ्रतम किया जाना प्रावधानित है। परन्तु यहाँ सम्बन्धित कोषागारों द्वारा विसंगतियों का निपटारा अत्यधिक विलम्ब से या किया ही नहीं जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	डेबिट	क्रेडिट
2012-13	3163974	206797
2013-14	35264021	99479207
2014-15	155625	11584
2015-16	10211387251	9915081548
2016-17	1163536536.91	569479639.10
2017-18	1219360169.29	539514473.75
2018-19	284008965	211978892

2019-20	481949505.38	520787886.96
2020-21	135183545	585286225
कुल योग	13534009592.58	12441826252.81

2.10 साइबर कोषागार के आर0बी0डी0 से सम्बन्धित विसंगतियां रू0 **127,87,09,630.20/- (Net Credit)** का समायोजन न किया जाना।

आर0बी0डी0 से सम्बन्धित ऑनलाईन प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखों का निरीक्षण किये जाने पर निम्न विसंगतियां पायी गयी :-

(धनराशियां रूपये में)

वर्ष	डेबिट	क्रेडिट
2013-14	31,14,536 / -	2,17,34,659 / -
2015-16	827,91,68,486 / -	973,12,27,571 / -
2016-17	98,84,36,054.90 / -	52,71,33,586.10 / -
2017-18	21,13,30,022 / -	43,67,42,845 / -
2018-19	22,86,52,527 / -	19,18,95,735 / -
2019-20	36,01,51,904 / -	36,66,84,132 / -
2020-21	13,10,58,562 / -	28,52,03,194 / -
कुल योग	1028,19,12,091.90 / -	1156,06,21,722.10 / -
शुद्ध अन्तर		127,87,09,630.20 / -

उक्त विसंगतियों का एजेन्सी बैंकों द्वारा दर्शायी गयी धनराशियाँ एवं साइबर कोषागार द्वारा दर्शायी गयी धनराशियों से सम्बन्धित है।

भाग- तीन

वित्तीय वर्ष **2020-21** में कोषागारों
के निरीक्षण में पायी गई
कमियां / त्रुटियां

“भाग-3: कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियां”

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें :

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वर्ष 2020-21 में 04 कोषागारों 05 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2019-20 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण (परिशिष्ट-06) में दर्शाया गया है।
(परिशिष्ट-06)

अनुशंसा:-निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2020-21 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तारों की स्थिति निम्नानुसार है।

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तारों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2020-21	175	874
वर्ष के दौरान निरीक्षण	9	73
वर्ष के दौरान निस्तारण	33	335
वर्ष के अन्त में शेष	151	612

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तारों का वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तारों की संख्या
2018-19 तक	81	239
2019-20	61	300
2020-21	9	73
योग	151	612

3.2 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनिमितताएँ

3.2.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या— 21/XXVII(7)/CPS/2005 दिनांक 25-10-2005 के अनुसार नई पेंशन स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + डी0ए0) का 10 प्रतिशत कटौती और 14 प्रतिशत राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम के खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नवनियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नई पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके “खाता संख्या” का आवंटन कराये परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

(परिशिष्ट -07)

3.2.2 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469(ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए। दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के परिशिष्ट 21 के अनुसार वर्ष में जिला कोषागार का निरीक्षण एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान निदेशक कोषागार के निरीक्षण में पाया गया कि निदेशक, शिविर कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 में 20 कोषागारों/उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया एवं उपनिदेशक, मुख्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 में 12 कोषागारों/उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण (परिशिष्ट -08(अ,ब)) में है। अधिकतर कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया।

(परिशिष्ट -08(अ,ब))

3.2.3 वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियां एवं अनिमितताएं :

3.2.3.1 तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों को बन्द न किया जाना।

शासनादेश संख्या 17/xxvii(10)/2015/2019, दिनांक 08.01.2020 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों को बन्द किया जाना तथा अवशेष धनराशि को सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी साइबर कोषागार देहरादून में निम्न खातों को न बन्द किया गया और ना ही अवशेष धनराशियों को सुसंगत लेखा शीर्ष “911” में जमा किया गया।

क्र0 सं0	खाता धारक का पदनाम	नवीनीकरण का दिनांक	अवशेष धनराशियाँ दिनांक 31.03.2021 को
1.	Aapda Prabhandhan, Nuenikaran Uttarakhand	31-03-2014	रु0 14,95,5000 /—
2.	Aapda Prabhandhan, Pratikriya Uttarakhand	31-03-2014	रु0 12,79,28,811 /—

3.2.3.2 शासकीय व्यक्तिगत जमा खातों (P.L.A) के अवशेष धनराशियों का सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के संख्या 121/xxvii(14)/2013, दिनांक 12.07.2013 एवं 17/21/xxvii(1)/2015/2019, दिनांक 08.01.2020 के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष में समाहित पर बची हुई धनराशि को संबंधित मुख्य लेखाशीर्ष के लघु शीर्ष (911) में जमा किया जाना प्रावधानित है। साइबर कोषागार देहरादून के पी0एल0ए0 के निम्न खातों में धनराशियाँ शेष पायी गयी जिनको उक्त शासनादेश के अनुसार जमा नहीं किया गया था।

क्र0 सं0	पी0एल0ए0/खाता धारक होलडर का पदनाम	अवशेष धनराशियाँ दिनांक 31.03.2021 को
1.	Director information, Uttarakhand	रु0 2,21,57,000 /—
2.	Bhasha Sansthan, Uttarakhand	रु0 15,20,940 /—
3.	Director General, Police, HQ. Uttarakhand	रु0 13,66,82,838 /—
4.	Hindi Academy, Uttarakhand	रु0 21,00,766 /—
5.	Director Urban Development, Uttarakhand	रु0 2,69,74,077 /—
6.	Finance Officer, Urdu Academy, Uttarakhand	रु0 8,78,566 /—

7.	Director Medical Education, Uttarakhand	रु0 60,03,19,234 /—
8.	Director I.C.D.S, Uttarakhand	रु0 24,56,07,988 /—
9.	Director Punjabi Academy, Uttarakhand	रु0 6,72,291 /—
Total		रु0 103,69,13,700 /—

3.2.4 द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं कराया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 38(ग) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार के द्वितालक कक्ष में सील बन्द पैकेट के रूप में रख सकते हैं तथा ऐसे सभी पैकेट का प्रति वर्ष मई माह में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन कर पुनः सुरक्षित द्वितालक कक्ष में सील बन्द कर रखा जाना चाहिए। कोषागार हरिद्वार के द्वितालक कक्ष में रखी बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया है जबकि द्वितालक कक्ष में रखी गई सभी बहुमूल्य वस्तुओं को नियमानुसार वार्षिक निकासी की जानी चाहिए तथा पुनः रखे जाने की स्थिति में सत्यापन कर संबंधित प्राधिकारी/विभाग द्वारा पुनः सीलबन्द कर रखा जाना चाहिए।

3.3 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियां एवं अनियमितताएं :

3.3.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित करना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना, सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया।

(परिशिष्ट -09)

3.3.2 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके आधार

पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ता है तथा साथ ही ऐसे आदेशों का उल्लंघन भी हो रहा है।

(परिषिष्ट –10)

3.3.3 कोषागार डाटा बेस में 75 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80,85,90,95 एवं 100 वर्ष की आयु-वर्ग के पेंशनरों को मूल पेंशन के अलावा 20,30,40,50 एवं 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने का प्रमाण-पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए ऐसे प्रमाण-पत्र को (जो लागू हों) सम्बन्धित पेंशनर के सेवानिवृत्ति माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि, जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है। अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अति आवश्यक है ताकि उक्त आदेश की निगरानी/नियंत्रण किया जा सके एवं पात्र पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

(परिषिष्ट-11)

3.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 में साइबर कोषागार द्वारा **SGST** के लघु शीर्ष **RAT** (500) में जमा धनराशि को उसके उचित लघु शीर्षों में स्थानान्तरित न करना।

साइबर कोषागार में वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 16.02.2021 को IFMS उत्तराखण्ड पोर्टल पर लेखा शीर्षक 0006-00-500-00-00 के अन्तर्गत दर्ज एवं कार्यालय महालेखाकार को प्रत्येक माह प्रेषित लेखा में दर्ज राशि में अन्तर पाया गया है, जो की निम्नवत् है :-

माह	प्रत्येक माह कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित लेखा में दर्ज धनराशि (करोड़ रू0 में प्रदर्शित)	दिनांक 16.02.2021 को IFMS पोर्टल पर दर्ज धनराशि (करोड़ रू0 में प्रदर्शित)	अन्तर
अप्रैल 2019	222.78	125.29	97.49
मई 2019	15.02	14.43	0.59
जून 2019	23.34	22.79	0.55
जुलाई 2019	23.01	22.06	0.95

अगस्त 2019	6.28	0.00	6.28
सितम्बर 2019	10.20	0.00	10.20
अक्टूबर 2019	35.93	0.00	35.93
नवम्बर 2019	11.77	0.00	11.77
दिसम्बर 2019	15.31	0.00	15.31
जनवरी 2020	18.65	0.00	18.65
फरवरी 2020	8.99	0.00	8.99
मार्च 2020	15.97	0.00	15.97
कुल योग	407.25	184.57	222.68

साइबर कोषागार द्वारा उपरोक्त लघु शीर्षक 500 (RAT) में उक्त जमा धनराशि के स्थानान्तरण हेतु बिना महालेखाकार कार्यालय को सूचित किये बिना ही लेखा संशोधित किये गये हैं।

साइबर कोषागार द्वारा प्रकरण बिना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किये बिना अपने लेखे संशोधित करना, व उक्त धनराशि को उसके उचित लघु शीर्षों में स्थानान्तरित करने हेतु एवं कोषागार स्तर पर पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा खुले रहने तक “ लेखा संशोधन ” प्राप्त न कराना, वित्तीय नियमों की अनदेखी है।

3.5 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं होना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनरीक्षण कर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। परन्तु कुछ कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	उपकोषागार का नाम	पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की संख्या
1.	मसूरी	1
2.	विकासनगर	2

3.6 NPS की कटौती का त्रुटिपूर्ण लेखांकन किया जाना।

उपकोषागार लक्सर और ऋषिकेश के अधीनस्थ वेतन आहरित कर रहे कार्मिकों की वेतन बिल पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि उपकोषागार द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से NPS की कटौती लेखाशीर्ष 8342-01-117-03-01 के अंतर्गत उप-मुख्य लेखाशीर्ष '01' के अंतर्गत की जा रही हैं। 'List of Major & Minor Head' के अनुसार उप-मुख्य लेखाशीर्ष '01' अनाधिकृत है।

परिशिष्ट

1 से 11 तक